कार्यालय उज्जैन नगर पालिक निगम

क्रमांक : स.क./2021/565

उज्जैन, दिनांक : 28.06.2021

//जाहिर सूचना//

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये सम्पत्तिकर अग्रिम जमा पर छूट (रिबेट) दिये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन का पत्र क्रमांक 509, उज्जैन दिनांक 14.06.2021 के संलग्न संक्षेपिका के मुख्यांश इस आशय के कि, नगर पालिक निगम, उज्जैन अंतर्गत राजपत्र दिनांक 13 नवम्बर, 2020 से प्रभावशील मध्यप्रदेश नगर पालिका (भवनों एवं भूमियों के कर योग्य सम्पत्ति मूल्य का निर्धारण) नियम 2020 के प्रावधान अनुसार उज्जैन नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र में स्थापित भवन/भूमि स्वामियों से वर्ष 2021–22 में सम्पत्तिकर अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में मान. प्रशासक संकल्प क्रमांक 92, दि. 04.03.2021 पारित किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये सम्पत्तिकर अग्रिम जमा पर माह अप्रैल 2021 में 6%, माह मई 2021 में 5% एवं माह जून 2021 में 4% छूट (रिबेट) का प्रावधान है।

उक्त पारित संकल्प में कलेक्टर गाईडलाईन अनुसार सम्पत्तिकर हेतु नवीन दरें निर्धारित किये जाने सम्बन्धी ई–नगर पालिका, भोपाल द्वारा अपडेशन की कार्यवाही प्रचलित होने से समस्त झोन कार्यालयों में वर्तमान वर्ष 2021–22 का सम्पत्तिकर जमा नहीं होने एवं नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत लॉकडाउन/कर्फ्यू होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन शहर में माह अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक सभी रोजगार मूलक प्रतिष्ठान/व्यावसाय बंद की स्थित में उपरोक्त अवधि में सम्पत्तिकरदाताओं द्वारा संपत्तिकर में छूट (रिबेट) का लाभ नहीं लिया जा सका है।

यहां यह भी उल्लेखित है कि गतवर्ष 2020–21 में भी नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत लॉकडाउन/कर्फ्यू होने की स्थिति में उज्जैन शहर रोजगार मूलक प्रतिष्ठान/व्यावसाय बंद की स्थित में सम्पत्तिकरदाताओं द्वारा सम्पत्तिकर में छूट (रिबेट) का लाभ नहीं लिये जाने से मान. एमआईसी के पारित प्रतिलिपि ठहराव क्र. 70 दिनांक 17.06.2020 से दी गई स्वीकृति अनुसार सम्पत्तिकर अग्रिम जमा पर माह अप्रेल में 6%, माह मई में 5% एवं माह जून में 4% छूट (रिबेट) अवधि वृद्धित की जाकर 31 जुलाई तक 6%, माह अगस्त में 5% एवं माह सितम्बर में 4% छूट (रिबेट) प्रदान की गई थी।

गतवर्षानुसार सम्पत्तिकर अग्रिम जमा किये जाने पर मान. एम.आई.सी. द्वारा पारित किये गये निर्णय अनुसार वर्तमान वर्ष 2021–22 में निम्नानुसार छूट दिया जाना प्रस्तावित है, ताकि नगर निगम को अधिक से अधिक आय होकर सम्पत्तिकरदाताओं को उक्त छूट का लाभ प्रदाय किया जा सके :–

1. वित्तीय वर्ष 2021–22 का सम्पत्तिकर अग्रिम जमा किये जाने पर 31 जुलाई 2021 तक 6% छूट का लाभ।
2. वित्तीय वर्ष 2021–22 का सम्पत्तिकर अग्रिम जमा किये जाने पर 01 से 31 अगस्त 2021 तक 5% छूट का लाभ।
3. वित्तीय वर्ष 2021–22 का सम्पत्तिकर अग्रिम जमा किये जाने पर 01 से 30 सितम्बर 2021 तक 4% छूट का लाभ।

अतः सर्वसंबंधितों को सूचित हो।

(क्षितिज सिंघल) आई.ए.एस.
आयुक्त,
नगर पालिक निगम, उज्जैन

क्रमांक : स.क./2021/566
प्रतिलिपि :–

उज्जैन, दिनांक 28.06.2021

1. मान. प्रशासक, नगर पालिक निगम, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त (सम्पत्तिकर), नगर पालिक निगम, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
3. उपायुक्त (सम्पत्तिकर), नगर पालिक निगम, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
4. सहायक आयुक्त (सम्पत्तिकर), नगर पालिक निगम, उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्र. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, उज्जैन की ओर भेजकर आदेशित किया जाता है कि वे उक्त जाहिर सूचना का प्रकाशन अधिक प्रसार वाले 02 ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में जिनका प्रसारण उज्जैन नगर पालिका क्षेत्र में हो, कराना सुनिश्चित करें।
6. प्र. अधिकारी, आई.टी. सेल, नगर पालिक निगम, उज्जैन की ओर भेजकर आदेशित किया जाता है कि उक्त जाहिर सूचना निगम की वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. प्र. सहायक सम्पत्तिकर अधिकारी, झोन क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 व 6, नगर पालिक निगम, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निगम मुख्यालय/नोटिस बोर्ड/सम्भागीय/कलेक्टर/राजस्व विभाग (सम्पत्तिकर)/समस्त झोन कार्यालयों, नगर पालिक निगम, उज्जैन पर चस्पा हेतु।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, उज्जैन